न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 16/2020

1 मनोज कुमार पुत्र दयाराम।
2 प्रताप सिंह पुत्र दयाराम।
3 कमल सिंह पुत्र दयाराम समस्त जाति जाट निवासीगण भूरीवास तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 सुरेन्द्र पुत्र ईश्वर।
2 नरेन्द्र पुत्र ईश्वर।
3 कृष्ण पुत्र दयाराम।
4 महेन्द्रा देवी पत्नी बलबीर।
5 श्रवणी देवी पत्नी दयाराम।
6 सरिया देवी पत्नी चन्द्रवा।
7 धनपत पुत्र चन्द्रवा।
8 भीमसिंह पुत्र चन्द्रवा।
9 वेदकौर पुत्री चन्द्रवा।
10 ओमपति पुत्री चन्द्रवा।
11 मुन्नी पुत्री चन्द्रवा।
12 कमला पुत्री चन्द्रवा।
13 विमला पुत्री चन्द्रवा।
14 छैल्लुराम पुत्र श्योचन्द समस्त जाति जाट निवासीगण भूरीवास तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनू)

15 भूमि अधिकारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।
16 उप पंजियक बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट 1955
अपील खिलाफ अन्तिम निर्णय व डिक्री बअदालत
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुंझुनू
दावा उनवानी कृष्ण बनाम सरिया आदि दावा बाबत
विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा नम्बर 205/2013
निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक 05.08.2015

अपील संख्या 17/2020

1 मनोज कुमार पुत्र दयाराम।
2 प्रताप सिंह पुत्र दयाराम।
3 कमल सिंह पुत्र दयाराम समस्त जाति जाट निवासीगण भूरीवास तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 सुरेन्द्र पुत्र ईश्वर।
2 नरेन्द्र पुत्र ईश्वर।
3 कृष्ण पुत्र दयाराम।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

4 महेन्द्रा देवी पत्नी बलबीर।
5 श्रवणी देवी पत्नी दयाराम।
6 सरिया देवी पत्नी चन्द्रवा।
7 धनपत पुत्र चन्द्रवा।
8 भीमसिंह पुत्र चन्द्रवा।
9 वेदकौर पुत्री चन्द्रवा।
10 ओमपति पुत्री चन्द्रवा।
11 मुन्नी पुत्री चन्द्रवा।
12 कमला पुत्री चन्द्रवा।
13 विमला पुत्री चन्द्रवा।
14 छैल्लुराम पुत्र श्योचन्द समस्त जाति जाट निवासीगण भूरीवास तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।
15 भूमि अधिकारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।
16 उप पंजियक बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।
17 बनारसी देवी पत्नी छेलूराम।
18 पितराम पुत्र छेलूराम।
19 जलेसिंह पुत्र छेलूराम।
20 रामबीर पुत्र छेलूराम समस्त जाति जाट निवासीगण भूरीवास तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट 1955
अपील खिलाफ अन्तिम निर्णय व डिक्री बअदालत
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुंझुनू
दावा उनवानी सुरेन्द्र बनाम कृष्णा आदि दावा बाबत
विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा नम्बर 230/2013
निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक 05.08.2015

उपस्थिति :

1. श्री राजेन्द्र सिंह बुडानियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेश बागोरिया, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः—14-12-

यह दोनों अपीले विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना द्वारा मुकदमा नम्बर 205/2013 व 230/2013 में पारित निर्णय दिनांक 05.08.2015 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। दोनो पत्रावलियों में विवादित भूमि व पक्षकार समान होने से दोनो का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियां दोनो पत्रावलियों में पृथक—पृथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अदालत मातहत के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या 03 द्वारा दावा मुकदमा नम्बर 205/2013 बाबत खाता विभाज़न व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया था। रेस्पोडेंट संख्या 03 द्वारा दावें में वर्णित अनुसार भूमि में से स्वंय के हक हिस्से के विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का दावा में अनुतोष चाहा गया था। अदालत मातहत के समक्ष ही रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने भी एक दावा मुकदमा नम्बर 230/2013 बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया। उक्त मुकदमा नम्बर 230/2013 के दावें में अपीलांट संख्या 2 व 3 की बिना तामील हुये प्रकरण में दोनों दावों को समेकित करते हुए अदालत मातहत द्वारा राजस्व कैम्प लोक अदालत का हवाला देकर दिनांक 18.06.2015 को दोनो दावों में संयुक्त रूप से निर्णय पर प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित कर दी गई। अदालत मातहत द्वारा दावा संख्या 205/2013 व दावा संख्या 230/2013 को समेकित करते हुये प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित कर विवादित भूमि के कब्जे काश्त व

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

राजस्व रिकार्ड में दर्ज अनुसार तहसीलदार बुहाना से विभाजन प्रस्ताव मांगे गये थे। अदालत मातहत के समक्ष दिनांक 05.08.2015 को प्राथमिक निर्णय व डिक्री की पालना में पटवारी हल्का द्वारा तैयार विभाजन प्रस्ताव जरिये तहसीलदार बुहाना पेश होने पर अदालत मातहत द्वारा विभाजन प्रस्ताव पेश होने के रोज ही पक्षकारान को विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति पेश करने का अवसर दिये बिना अंतिम निर्णय व डिक्री दोनो प्रकरणों की पारित कर दी गई। पटवारी हल्का द्वारा तैयार विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार बुहाना द्वारा पेश किया गया था। पटवारी हल्का द्वारा विभाजन प्रस्ताव में हाल खसरा नम्बर 240 की भूमि में रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 का कब्जा काश्त नही होने तथा हाल खसरा नम्बर 465 में रेस्पोडेंट संख्या 3 का कब्जा काश्त नही होने बाबत अलग से नोट अंकित किया गया है। अदालत मातहत द्वारा पटवारी हल्का द्वारा तैयार विभाजन प्रस्ताव में अंकित नोट के नजर अंदाज कर व तहसीलदार बुहाना द्वारा पक्षकारान के समक्ष व्यक्तिशः उपस्थित होकर मौका रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव तैयार नही कर पटवारी हल्का द्वारा तैयार विभाजन प्रस्ताव प्रेषित करने पर भी बाध्यकारी प्रावधानों की अवहेलना कर पटवारी हल्का द्वारा तैयार विभाजन प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की गई है। इससे व्यथित होकर अपीलांट की ओर से विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतिम डिक्री दिनांक 05.08.2015 के विरूद्व धारा 5 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत की गई है। इस न्यायालय द्वारा धारा 5 पर उभयपक्ष को सुनकर दिनांक 06.08.2021 को डिले कन्डोन किया गया। इसके विरूद्व रेस्पोडेंट द्वारा माननीय राजस्व मण्डल में निगरानी संख्या 4300/2021,4307/2021 प्रस्तुत की गई जो निर्णय दिनांक 13.04.2022 से खारिज की जा चुकी है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि वर्तमान अपीलांट मनोज, प्रताप, कमल विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 12,13,14 के रूप में दर्ज है। विचारण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 24.09. 2013 में आदेश है कि प्रतिवादीगण की तलबी प्रस्तुत तलबाना पर जारी हो। इसके उपरान्त दिनांक 19.11.2014 को अंकन है कि प्रतिवादीगण की तामील विधिवत तामील हो चुकी है। प्रतिवादी संख्या 15 व 16 की तरफ से अधिवक्ता

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

श्री कुलदीप सिंह ने वकालतनामा प्रस्तुत किया है। शेष प्रतिवादीगण की और से कोई उपस्थित नही जिनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि दावा संख्या 205/2013 एवं 230/2013 विचारण न्यायालय में लम्बित थे। विचारण न्यायालय में उक्त दोनों दावों को दिनांक 18.06.2015 को समेकित किया गया है। इससे पूर्व दोनों दावो में अपीलांट की सम्यक तामील नही करवाई गई है। प्रस्तुत प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव पटवारी हल्का द्वारा तैयार किये गये है। विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांट को आपत्ति प्रस्तुत करने का भी अवसर प्रदान नही किया गया है। माननीय राजस्व मण्डल की वृहदपीठ ने स्पष्ट निर्देश दिये है कि विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा स्वंय मौके पर जाकर तैयार किये जायेगें। प्रस्तुत प्रकरण में इन निर्देशों की पालना नही हुई है। अत अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर अपीलांट द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गई है। विभाजन प्रस्ताव में सड़की की भूमि अपीलांट को दी गई है। विभाजन प्रस्ताव के लिये अपीलांट को नोटिस जारी किये गये है। अपीलांट अनुपस्थित रहा है। विचाराधीन निर्णय की पालना हो चुकी है। अपीलांट ने केवल परेशान करने के लिये अपील की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्तमान अपीलांट मनोज, प्रताप, कमल विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 12,13,14 के रूप में दर्ज है। विचारण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 24.09.2013 में आदेश है कि प्रतिवादीगण की तलबी प्रस्तुत तलबाना पर जारी हो। इसके उपरान्त दिनांक 19.11.2014 को अंकन है कि प्रतिवादीगण की तामील विधिवत तामील हो चुकी है। प्रतिवादी संख्या 15 व 16 की तरफ से अधिवक्ता श्री कुलदीप सिंह ने वकालतनामा प्रस्तुत किया है। शेष प्रतिवादीगण की और से

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
अधिकारी

कोई उपस्थित नही जिनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि दावा संख्या 205/2013 एवं 230/2013 विचारण न्यायालय में लम्बित थे। विचारण न्यायालय में उक्त दोनों दावों को दिनांक 18.06.2015 को समेकित किया गया है। इससे पूर्व दोनों दावो में अपीलांट की सम्यक तामील नही करवाई गई है। प्रस्तुत प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव पटवारी हल्का द्वारा तैयार किये गये है। विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांट को आपत्ति प्रस्तुत करने का भी अवसर प्रदान नही किया गया है। माननीय राजस्व मण्डल की वृहदपीठ ने स्पष्ट निर्देश दिये है कि विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा स्वंय मौके पर जाकर तैयार किये जायेगें। प्रस्तुत प्रकरण में इन निर्देशों की पालना नही हुई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष की उपस्थिति में तहसीलदार द्वारा पुन विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किये जावें, उभयपक्ष को विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति/सुनवाई का अवसर प्रदान कर प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.11.2022 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 14.10.22 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर